

**कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, कासगंज।**

**—:विज्ञप्ति:—**

देशी शराब दुकानें— धर्मपुर, नवादा व लखापुर एवं बीयर दुकान— बीनपुर कला का वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु प्रदत्त अनुज्ञापन निलम्बित हो जाने के फलस्वरूप, उक्त दुकानों के लिए दिनांक 18.06.2021 से 14 दिवस अथवा नियमित व्यवस्थापन होने तक जो भी पहले हो, देशी शराब दुकान—धर्मपुर के लिये दैनिक न्यूनतम एम0जी0क्यू0 30.00 ब0ली0, देशी शराब दुकान—नवादा के लिये दैनिक न्यूनतम एम0जी0क्यू0 29.00 ब0ली0 व देशी शराब दुकान—लखापुर के लिये दैनिक न्यूनतम एम0जी0क्यू0 31.00 ब0ली0 है, उक्त देशी शराब दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेंस फीस रुपये 35.50/-प्रति ब0ली0 की दर से देय होगी एवं बीयर दुकान—बीनपुर कला की दैनिक लाइसेंस फीस रुपये 316.00/-प्रति ब0ली0 की दर से देय होगा, के आधार पर दैनिक व्यवस्थापन हेतु सर्व साधारण से दिनांक 18.06.2021 को प्रातः 11:00 बजे तक आवेदन पत्र/आफर सीलबन्द लिफाफे में आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त सभी आवेदन पत्र/आफर के खुलने का समय 11:30 बजे स्थान कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, कासगंज है। अधिकतम आफर को वरीयता प्रदान की जायेगी। अधिक जानकारी जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, कासगंज में सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।



(श्याम कमल सिंह)  
जिला आबकारी अधिकारी,  
कासगंज।




(चन्द्र प्रकाश सिंह)  
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी,  
कासगंज।

संख्या— 120 / जि0आ0अ0 / कासगंज / व्यवस्थापन / 2021-22 / दिनांक—  
प्रतिलिपि—

जून, 16, 2021

1. उप आबकारी आयुक्त, अलीगढ़ प्रभार अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), कासगंज को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को जनपद की वेबसाईट [www.kasganj.nic.in](http://www.kasganj.nic.in) पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. विज्ञापन प्रबन्धक, अमर उजाला एवं दैनिक जागरण, जनपद कासगंज को उपरोक्त विज्ञापन अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में जनपदीय संस्करण में शासकीय दर पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित कराकर बिल जिला सूचना अधिकारी, कासगंज से सत्यापित कराकर 02 प्रतियों में भुगतान हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
जिला आबकारी अधिकारी,  
कासगंज।